<u>केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त नागपुर — II का कार्यालय,</u> तेलंगखेडी रोड़, सिविल लाईन्स, पो.बॉ.सं. 81, नागपुर – 440 001.

ट्रेड नोटिस नं. : 15/2017/NGP-II

दिनांक : 06 / 07 / 2017

विषय :

Proper officer for provisions relating to Registration and Composition levy under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or the rules made thereunder- reg.

उपरोक्त विषय पर आयुक्त (माल एवं सेवाकर), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, उत्पाद एवं सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया परिपत्र क्र. 1/1/2017 जो पत्र क्र. 349 / 75 / 2017-GST दिनांक 26/06/2017 के अंतर्गत जारी किया गया हैं उसकी प्रतिलिपी सूचना, मार्गदर्शन एवं कार्यवाही के लिए प्राप्त करें ।

सभी संबंधित संगठनो / कार्यालयों से अनुरोध हैं कि वे परिपत्र की जानकारी अपने सभी सदस्य निर्माताओं एवं व्यापारियों को दें ।

> (आशीष चंदन) आयुक्त

फा.सं.IV(16)30-01/2017/NGP-II/Tech/Pt-II / 1030

नागपुर, दि. <u>06</u>/07/2017

संलग्न : यथोपरी

प्रतिलिपी:

- आयुक्त (अपील), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शूल्क, आयुक्त नागपुर । 1.
- सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभागीय 2. प्रभाग / अधीक्षक रेंज प्रभारी, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नागपुर – ।।.
- सहायक आयुक्त, मेसर्स डिस्ट्रिब्युशन लॉजिस्टीक ईन्फ्रास्टर्क्चस प्रायवेट लिमिटेड, इंटिग्रेटेड 3. लॉजिस्टिक पार्क, आय.सी.डी. बोरखेडी – 441 108.
- सहायक आयुक्त, विधी / समीक्षा एवं अधिकरण / न्यायनिर्णयन / निवारक, केन्द्रीय वस्तु एवं 4. सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - 11.
- सहायक आयुक्त (संगणक), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शूल्क। अनुरोध हैं कि वे इस आदेश को कार्यालयीन वेब साइड पर अपलोड करें ।
 - सभी व्यापार संगठन । 6.
 - सभी वाणिज्य संगठन । 7.
 - क्षेत्रीय सलाहकार समिती के सभी सदस्य (1) संगठित क्षेत्र (2) लघु उद्योग क्षेत्र । 8.
 - लोक शिकायत निवारण समिती के सभी सदस्य । 9.

F. No. 349/75/2017-GST Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Excise and Customs

New Delhi, Dated the 26th June, 2017

To,

The Principal Chief Commissioner/Chief Commissioners/ Principal Commissioner/ Commissioner of Central Tax (All) / Director General of Systems

Madam/Sir,

Subject: Proper officer for provisions relating to Registration and Composition levy under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 or the rules made thereunder – Reg.

In exercise of the powers conferred by Clause (91) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the Act) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act (13 of 2017) and subject to sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Board, hereby assigns the officers mentioned in Column (2) of the Table below, the functions as the proper officers in relation to the various sections of the of the said Act or the rules made thereunder mentioned in the corresponding entry in Column (3) of the said Table:-

Table

Serial	Designation of the Officer	Functions under Section of the
Number		Central Goods and Services Tax
		Act, 2017 or the rules made

		thereunder		
(1)	(2)		(3)	
		i.	Sub-Section (5) of Section 10 Proviso to Sub-Section (1) of Section 27	
1,	Assistant or Deputy Commissioners of Central Tax and Assistant or	ii.		
1.	Deputy Directors of Central Tax	iii.	Section 30	
		iv.	Rule 6	
		v.	Rule 23	
		vi.	Rule 25	
	Superintendent of Central Tax	i.	Sub-section (8) of Section	
			25	
		ii.	Section 28	
		iii.	Section 29	
		iv.	Rule 9	
- 2:		v.	Rule 10	
2.		vi.	Rule 12	
		vii.	Rule 16	
		viii.	Rule 17	
		ix.	Rule 19	
		X.	Rule 22	
:		xi.	Rule 24	

- 2. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this circular.
- 3. Difficulty, if any, in the implementation of the above instructions may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

-sd-

(Upender Gupta) Commissioner (GST)